



सत्यमेव जयते

दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे
South East Central Railway

कार्मिक विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, रायपुर

Personnel Department, Divisional Railway Manager Office, Raipur



क्रमांक.-ई/पीबी/आर/भर्ती/एक्ट.अप्रेंटिस/01/2026-27

दिनांक 05.05.2026



अधिसूचना

विषय:- वर्ष 2025-26 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल तथा वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर में अप्रेंटिस एक्ट-1961 एवं अप्रेंटिस नियम-1962 के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिसेस का नियोजन ।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल तथा वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर में अप्रेंटिस एक्ट-1961 के अंतर्गत निम्नलिखित पद, नामित ट्रेडों पर अप्रेंटिसशिप हेतु नियोजन के लिए रायपुर मंडल तथा वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर हेतु पात्र उम्मीदवारों से <https://apprenticeshipindia.gov.in> वेबसाइट पर दिनांक 05.05.2026 से 04.06.2026 (23:59 बजे तक) ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ।

डी.आर.एम. ऑफिस, रायपुर मंडल (स्थापना संख्या. E05202200048)

क्रं.	ट्रेड	अना	ई.डब्ल्यू.एस.	अ.पि.व.	अ.जा	अ.ज.जा	कुल	दिव्यांग	भू.पू.सै.
1	वैल्डर	105	26	72	39	20	262	10	26
2	टर्नर	11	3	8	4	2	28	1	3
3	फिटर	162	41	112	61	30	406	16	41
4	इलेक्ट्रिशियन	134	34	93	51	25	337	13	34
5	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	4	1	3	1	1	10	0	1
6	स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)	4	1	3	2	1	11	0	1
7	हेल्थ एण्ड सेनेटरी इंस्पेक्टर	10	2	7	4	2	25	1	2
8	वोपा	33	8	22	12	6	81	3	8
9	मशीनिष्ट	6	1	4	2	1	14	1	1
10	मेकेनिक डीजल	38	10	27	15	7	97	4	10
11	मेकेनिक रेफरीजरेटर एवं एयर कंडीषनर	10	3	7	4	2	26	1	3
12	ब्लैकस्मिथ	1	0	1	0	0	2	0	0
13	लेमरमेन	1	0	0	0	0	1	0	0
14	मैसन	1	0	1	0	0	2	0	0
15	पाइप लाइन फिटर	1	0	1	0	0	2	0	0
16	कारपेंटर	2	1	2	1	0	6	0	1
17	पेंटर	2	1	2	1	0	6	0	1
18	इलेक्ट्रॉनिक्स मेकेनिक	18	5	13	7	4	47	2	5
Total		543	137	378	204	101	1363	52	137

वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर (स्थापना संख्या E11152200001)

क्रं.	ट्रेड	अना.	ईडब्ल्यू एस	अ.पि.व.	अ.जा	अ.ज.जा	कुल	दिव्यांग	भू.पू.सै.
1	फिटर	44	11	30	17	8	110	4	11
2	वैल्डर	44	11	30	17	8	110	4	11
3	मशीनिष्ट	7	2	5	3	1	18	1	2
4	टर्नर	6	2	4	2	1	15	1	2
5	इलेक्ट्रिशियन	7	2	5	3	1	18	1	2
6	वोपा	3	1	2	1	1	8	0	1
7	स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)	1	0	0	0	0	1	0	0
8	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	1	0	0	0	0	1	0	0
कुल		113	29	76	43	20	281	11	29

1. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता :-

अ) अभ्यर्थी को 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10 वीं (मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए (न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अहर्ता हेतु आवश्यक होगा)।

ब) अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित ट्रेड में आई.टी.आई. की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

*उम्मीदवारों को अधिसूचना जारी होने की तिथि तक निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए। अर्हक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी और व अभ्यर्थी जिनके अर्हक परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है, पात्र नहीं है।

2. आयुसीमा :- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 05.05.2026 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में अजा/अजजा के उम्मीदवारों को 05 वर्ष एवं अपिव के उम्मीदवारों को 03 वर्ष, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवार को 10 वर्ष की छूट होगी। समुदायवार जन्मतिथि निम्नानुसार होनी चाहिए:-

क्रमांक	समुदाय	अभ्यर्थी की जन्म तिथि निम्न दोनों तिथियों के मध्य की होनी है।
01	अनारक्षित	05.05.2002 से 05.05.2011
02	अनुसूचितजाति	05.05.1997 से 05.05.2011
03	अनुसूचितजनजाति	05.05.1997 से 05.05.2011
04	अन्य पिछड़ावर्ग	05.05.1999 से 05.05.2011
05	दिव्यांग/भूतपूर्वसैनिक	05.05.1992 से 05.05.2011

*उम्र में छूट हाल के जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही दिया जायेगा। जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय नमूना अनुलग्नक-बी के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी केन्द्र सरकार के प्रारूप पर अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार, जो उम्मीदवार ओबीसी के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय नमूना अनुलग्नक-सी के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी केन्द्र सरकार के प्रारूप पर अपना जाति प्रमाण पत्र और गैर-क्रिमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ओबीसी प्रमाण पत्र इस अधिसूचना के बंद होने की तारीख से एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। दिव्यांग प्रमाण पत्र का नमूना अनुलग्नक-जी में संलग्न है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का नमूना अनुलग्नक-ई के अनुसार दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

3. अप्रेंटिसप्रशिक्षण की अवधि एवं छात्रवृत्ति :- चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षु के रूप में नियोजित किये जायेंगे तथा उन्हें केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षुता/अप्रेंटिस शिप ट्रेनिंग के लिए भेजा जायेगा। नियोजित प्रशिक्षुओं को रेलवे बोर्ड के नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान वजीफा/छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी कर लेने के बाद उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जायेगा।

4. चयनप्रक्रिया :- प्रवीणता सूची बनाने हेतु निम्नलिखित मापदंड अपनाया जायेगा, अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक (न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अहर्ता हेतु आवश्यक होगा) तथा आई.टी.आई. में प्राप्त अंक प्रतिशत को समानभारता देते हुये प्रवीणता सूची जारी की जायेगी। (स्थापना नियम क्रमांक 201/2017)

5. चिकित्सापरीक्षण :- चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 और परिशिष्ट नियम 1992 के पैरा 4 (समय समय पर संशोधित) के अनुसार निर्धारित प्रमाणपत्र में दस्तावेज सत्यापन के समय चिकित्सा प्रमाणपत्र लाने की सलाह दी जा सकती है। मेडिकल सर्टिफिकेट पर सरकार द्वारा अधिकृत केंद्रीय/राज्य शासन के अस्पताल के सर्जन डॉक्टर (राजपत्रित) से हस्ताक्षर होने चाहिए तथा सहायक सर्जन से नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए।

6. संविदा :- चयनित उम्मीदवार को अनुबंध देना होगा या, यदि वह नाबालिक है तो उसके अभिभावक को नियोक्ता के द्वारा जारी शि्षुता के अनुबंध में पालक/अभिभावक का हस्ताक्षर किया जाना है।

7. रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव :- प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार के प्रस्ताव के लिए नियोक्ता बाध्य नहीं होगा और ना ही प्रशिक्षु नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित किसी भी रोजगार को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत नियमों एवं अधिनियमों कि भली भाँति जानकारी प्राप्त कर ले।

8. भूतपूर्व सैनिक:- 10 प्रतिशत आरक्षण के तहत चयनित भूतपूर्व सैनिक उनके बच्चे एवं सषस्त्र बल जवानों के बच्चे जो उन्हें प्रदान किया गया है, अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के, भूतपूर्व सैनिक को उनकी संबंधित श्रेणी में रखा जाएगा एवं उन्हें अप्रेंटिसशिप के लिए नीचे दिए गये विवरण के अनुसार नियोजित किया जाएगा।

क) मृत सैनिक के बच्चे/युद्ध के समय शहीद/दिव्यांग सैनिक सहित, ख) भूतपूर्वसैनिक के बच्चे, ग) सेवारत अधिकारी के बच्चे, घ) भूतपूर्वसैनिक, ङ) सेवारत जवान के बच्चे।

9. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि :- पूर्ण रूप से भरे गए ऑन लाइन आवेदन को केवल ऑनलाइन प्रक्रिया से दिनांक 05.05.2026 से 04.06.2026 23:59 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा।


10. अभ्यर्थी के लिए सामान्य निर्देश:-

- क) अभ्यर्थी केवल <https://apprenticeshipindia.gov.in> वेबसाइट के माध्यम से ही ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन करें।
- ख) यदि अभ्यर्थी अजा/अजजा/अपिव समुदाय से हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हाल ही का जाति प्रमाण पत्र का वेबपोर्टल पर अपलोड करें तथा आधार वैरिफिकेशन भी अनिवार्य है।
- ग) किसी भी प्रकार के पैरवी/दबाव डालने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- घ) आवेदक को प्रशिक्षु के रूप में ज्वाइनिंग के पहले आने जाने पर किसी भी प्रकार का टीए/डीए नहीं दिया जायेगा।
- ङ) उम्मीदवारों को वेबसाइट पर शिक्षा/तकनीकी योग्यता से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों के साथ वर्तमान पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो स्कैन किए गए हस्ताक्षर की सॉफ्ट/स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
- च) यदि अभ्यर्थी सत्यापन के लिए अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में अक्षम हो एवं किसी प्रकार के विसंगति देखी जाती है तो उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी।
- च) यदि रेल प्रशासन को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि अभ्यर्थी/चयनित अभ्यर्थी ने गलत/जाली/झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है तो रेल प्रशासन किसी भी चरण में, चयन होने के बाद जारी प्रशिक्षण के दौरान भी बिना किसी पूर्व सूचना के बर्खास्त करने का अधिकार रखता है।
- छ) रेल प्रशासन अभ्यर्थी का चयन न होने या बुलावा न मिलने पर जवाब भेजने के लिए किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लेता है। इस कार्यालय में जमा किए गए आवेदन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन से पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- ज) मुद्रण संबंधी किसी भी त्रुटी के लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।
- झ) ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत खाली सीटें, दपूमरे/मुख्यालय के पत्र सं. पी-एचक्यू/आरयूएल/101/10 (ई-50910) दिनांक 13.02.2024 के अनुसार भरी जा सकती है।
- ट) विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी यानी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- ठ) अभ्यर्थी के आवेदन की स्वीकृति, अस्वीकृति पात्रता संबंधित निर्णय एवं चयन के प्रकार हेतु रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

11. सहायता हेतु:-

01	मोबाइल नंबर	7024149242	अधिक जानकारी के लिए सोमवार से शुक्रवार के मध्य कार्यालयीन दिवस में प्रातः 10:00 से संध्या 17:30 तक के मध्य संपर्क किया जा सकता है।
02	कार्यालय का पता	वरि.मंडल कार्मिक अधिकारी कार्यालय, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर, वॉल्टेयर गेट के निकट, रायपुर (छ.ग.) पिन संख्या:-492008	

नोट- किसी संषय/विरोधाभाष कि स्थिति में अधिसूचना की अंग्रेजी प्रारूप मान्य होगा।


(महेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक कार्मिक अधिकारी-।
कृते, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी

ई/पीबी/आर/भर्ती/एक्ट.अप्रेंटिस/01/2026-27
प्रतिलिपि-

दिनांक 05.05.2026

1. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/द.पू.म.रेलवे को सूचनार्थ।
2. मंडल रेल प्रबंधक के निज सचिव को मं.रे.प्र. के सादर सूचनार्थ।
3. सी.एम.आई.टी. कार्यालय/बिलासपुर को अधिसूचना को एस.ई.सी.आर. वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
4. वरि.मंडल वाणिज्य प्रबंधक/द.पू.म.रे./रायपुर को अधिसूचना के प्रकाशन/प्रचार हेतु।
5. सूचनापटल एवं आई.टी. सेल/कार्मिक/रायपुर।


कृते, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी